39–(08)–14–2015

पटना में दिनांक–19 मई, 2015 मंगलवार को अपराह्न 05:30 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन/सहभागिता योजना अंतर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना एवं विभिन्न खेल संघों तथा खिलाड़ी कल्याण कोष योजनान्तर्गत जरूरतमंद खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 1,50,00,000/–(एक करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।

1. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

2. राज्य के नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रति माह नियत भत्ता, मासिक बैठकों में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पार्षदों को दैनिक भत्ता एवं क्षेत्रीय भ्रमण हेतु यात्रा भत्ता को विलोपित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015–16 से 01.04.2015 के प्रभाव से समेकित नियत (प्रति माह) भत्ता की स्वीकृति के संबंध में।

2. **इस संशोधन के साथ स्वीकृत कि नगर परिषद के वार्ड पार्षद को 1500 रू० प्रतिमाह एवं नगर पंचायत के वार्ड पार्षद को 1000 रू० प्रतिमाह के दर से नियत भत्ता दिये जायेंगे।**

वित्त विभाग

3. अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को मंहगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01.01.2015 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति।

3. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

4. पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक–01.01.2015 के प्रभाव से 107 प्रतिशत के स्थान पर 113 प्रतिशत मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

5. न्यायमंडल पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के अधीन सिकरहना अनुमंडलीय न्यायालय के लिए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल 36 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

5. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

6. न्यायमंडल सिवान के अधीन महाराजगंज अनुमंडलीय न्यायालय के लिए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल–57 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 6. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

7. न्यायमंडल अरवल के लिए अराजपत्रित वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के आवश्यक कुल 169 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

8. माननीय उच्च न्यायालय पटना के लिए कोर्ट मैनेजर के 2 (दो) पद तथा राज्य के 35 व्यवहार न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर के 35 (पैंतीस) पदों के स्थायी रूप से सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा बिहटा, पटना में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का दीर्घकालीन लीज अवधि/एकरारनामा अवधि/एम०ओ०यू० अवधि में 50:50 प्रतिशत राजस्व प्राप्ति के बँटवारे के आधार पर राज्य सरकार को हस्तान्तरित किये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित Terms & Conditions (यथा संलग्न) के आधार पर मेडिकल कॉलेज, बिहटा, पटना के अधिग्रहण के प्रस्ताव पर स्वीकृति। 9. **स्वीकृत।**

विधि विभाग

10. विधि विभाग में गठित "बिहार स्टेट लिटीगेशन सेल" के लिए संविदा पर नियोजन हेतु सृजित विधि पदाधिकारी के पद पर श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय को दिनांक–10.02.2015 से अगले एक वर्ष तक नियोजित किए जाने तथा उनके पारिश्रमिक एवं सेवाशर्त्त निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में। 10. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

11. वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अन्तर्गत स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय के गठन के संबंध में। 11. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

12. LPA सं०–795/2006, 628/2006 एवं 680/2006 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–19.04.10 में पारित आदेश के अनुपालन में नगर विकास एवं आवास विभाग में पूर्व से प्रतिनियुक्त विस्कोमान के अभियंताओं का प्रतिनियुक्ति की तिथि से सेवा समायोजन के संबंध में।

12. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

13. केन्द्र प्रायोजित "स्वच्छ भारत मिशन "(नगरीय)" योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

13. स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

14. केन्द्र सरकार की योजना Heritage City Development and Augmentation Yojna (HRIDAY) को गया एवं बोधगया में लागू करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति।

14. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

15. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में संविदा आधारित पदों पर नियोजित कर्मियों के संविदा अवधि में 01 (एक) वर्ष का विस्तार दिए जाने के संबंध में।

15. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

16. अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज अंचल के मौजा–गुणवन्ती, थाना नं०–56, खाता सं०–638, खेसरा सं०–1829, रकबा–0.60 एकड़ (साठ डिसमिल) गैर मजरूआ बिहार सरकार, खास पुरानी परती भूमि 4000/–रू० प्रति डिसमिल की दर से 2,40,000/–रू० सलामी एवं सलामी के 2 प्रतिशत आवासीय लगान का 25 गुणा अर्थात् 1,20,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 3,60,000/–रू० (तीन लाख साठ हजार) के भुगतान पर राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

16. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

17. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत अंचल–पकड़ीदयाल के मौजा––बाराहरख, थाना नं०–135, खाता सं०–202, खेसरा सं०–1084, रकबा–5.00 एकड़ गैर मजरूआ मालिक या ठेकेदार व जरपेशगीदार भूमि पावर ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु 75,00,000/–(रू० पचहत्तर लाख) सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान के 25 गुणा अर्थात 93,75,000/– (रू० तिरानवे लाख पचहत्तर हजार) पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,68,75,000/–(रू० एक करोड़ अड़सठ लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

17. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

18. औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, बिहार–2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की कंडिका–2(V)(क) के अन्तिम पारा में विद्युत कनेक्शन लिए वगैर डी०जी० सेट/ कैपटिव पावर जेनरेशन से उत्पादन करने वाली इकाइयों का लोड अवधारण समिति से औद्योगिक प्रोत्साहन (संशोधन) नीति, बिहार, 2014 के प्रभावी तिथि 05.01.2015 से कराये जाने के प्रावधान को दिनांक–01. 07.2011 से लोड अवधारण कराये जाने से संबंधित संशोधन की स्वीकृति का प्रस्ताव।

18. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19. बिहार राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दूरभाष (मोबाइल टेलीफोन) सुविधा के संबंध में।

19. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

21. बिहार राज्य हज समिति को वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 तक पूर्व में स्वीकृत 40.00 लाख रूपये अनुदान के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 तक प्रति वर्ष रू० 20.00 लाख (बीस लाख रूपये) अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

21. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

22. मुंगेर जिलान्तर्गत टेटिया बम्बर अंचल के मौजा–मजलीसपुर थाना सं०–360, खाता सं०–115, खेसरा सं०–184 का कुल रकवा–0.5930 एकड़ गैरमजरूआ आम भूमि–26,09,200/–(छब्बीस लाख नौ हजार दो सौ) रूपये सलामी एवं सलामी का दो प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात्–13,04,600/–(तेरह लाख चार हजार छः सौ) रूपये पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–39,13,800/–(उनचालीस लाख तेरह हजार आठ सौ) रूपये के भुगतान पर राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 33/11 के०वी० शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड पटना को स्थायी हस्तान्तरण।

22. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

23. पथ निर्माण विभाग के अधीन पथ प्रमंडलों एवं पथ अंचलो का पुनर्गठन के संबंध में।

23. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

24. सदर अस्पताल, भागलपुर का नामाकरण लोकनायक जय प्रकाश नारायण सदर अस्पताल, भागलपुर, मधेपुरा चिकित्सा महाविद्यालय का नामकरण जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा, भागलपुर स्थित नाथनगर रेफरल अस्पताल का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जननायक कर्पूरी ठाकुर रेफरल अस्पताल, नाथनगर, भागलपुर, पटना जिला के मोकामा रेफरल अस्पताल का नाम हिन्दी के प्रख्यात विद्वान बैजनाथ शर्मा के नाम पर बैजनाथ शर्मा रेफरल अस्पताल, मोकामा, पटना, पटना जिला के पटना सिटी स्थित कृष्णाबाग (कसबा) राजकीय औषधालय का नामकरण रामदेव महतो के नाम पर रामदेव महतो राजकीय औषधालय, कृष्णाबाग (कसबा), पटना सिटी एवं पटना जिला के पटना सिटी स्थित राजकीय औषधालय, मारूफगंज का नाम पूर्व महापौर, यमुना प्रसाद के नाम पर यमुना प्रसाद, राजकीय औषधालय, मारूफगंज, पटना सिटी करने के संबंध में।

24. **स्वीकृत।**